

4055  
24/12/15

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में,

✓ जिला शिक्षा अधिकारी,  
करनाल

यादी क्रमांक 14/381-15 एच०आर०एल०-II (7)



दिनांक पंचकूला 24-12-2015

विषय :- विदेश जाने के लिए अनुमति मामला - श्रीमती रंजीत कौर, प्रवक्ता पंजाबी,  
रा०व०मा०वि०, बांसा (करनाल)।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

श्रीमती रंजीत कौर, प्रवक्ता पंजाबी, रा०व०मा०वि०, बांसा (करनाल) को दिनांक  
01.01.2016 से 31.01.2016 तक विदेश **Australia** में अपने पति से मिलने जाने हेतु विदेश जाने  
की निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति प्रदान करती है:-

1. कर्मचारी विदेश जाने से पूर्व अपनी छुट्टी स्वीकृत करवा कर जाएगी।
2. कर्मचारी विदेश जाने से पूर्व अपना पूर्ण चार्ज देकर जाएगी।
3. कर्मचारी विदेश जा कर अवकाश बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र नहीं भेजेगी।
4. कर्मचारी विदेश में जा कर किसी प्रकार की सरकारी/गैर सरकारी सेवा ग्रहण नहीं करेगी।
5. उसके विदेश जाने से राज्य सरकार पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
6. उसके विदेश जाने से सरकार की सुरक्षा पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।
7. वह सरकार के सभी नियमों का पालन करेगी और भारत सरकार के संविधान के प्रति निष्ठावान रहेगी।


  
उप-अधीक्षक एच०आर०एल०-II  
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा  
हरियाणा, पंचकूला  


पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक पंचकूला

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्राचार्य, रा०व०मा०वि०, बांसा (करनाल)।
2. श्रीमती रंजीत कौर, प्रवक्ता पंजाबी, रा०व०मा०वि०, बांसा (करनाल)।

  
उप-अधीक्षक एच०आर०एल०-II  
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा  
हरियाणा, पंचकूला

Email

प्रेषक

✓ सेवा में,

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

जिला शिक्षा अधिकारी,  
रोहतक।


यादी क्रमांक 14/333-15 एच०आर०एल० (3)  
दिनांक पंचकूला 28-12-2015

विषय :- विदेश जाने के लिए अनुमति मामला - श्रीमती ईशा, प्रवक्ता रसायन शास्त्र,  
रा०व०मा०वि०, रीथल (रोहतक)।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

श्रीमती ईशा, प्रवक्ता रसायन शास्त्र, रा०व०मा०वि०, रीथल (रोहतक) को दिनांक  
04.01.2016 से 10.01.2016 तक के लिए **Malaysia** में व्यक्तिगत विदेश यात्रा जाने हेतू  
निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. कर्मचारी विदेश जाने से पूर्व अपनी छुट्टी स्वीकृत करवा कर जाएगी।
2. कर्मचारी विदेश जाने से पूर्व अपना पूर्ण चार्ज देकर जाएगी।
3. कर्मचारी विदेश जा कर अवकाश बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र नहीं भेजेगी।
4. कर्मचारी विदेश में जा कर किसी प्रकार की सरकारी/गैर सरकारी सेवा ग्रहण नहीं करेगी।
5. उसके विदेश जाने से राज्य सरकार पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
6. उसके विदेश जाने से सरकार की सुरक्षा पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।
7. वह सरकार के सभी नियमों का पालन करेगी और भारत सरकार के संविधान के प्रति निष्ठावान रहेगी।


  
उप-अधीक्षक एच०आर०एल०-II  
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा  
हरियाणा, पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक पंचकूला

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य, रा०व०मा०वि०, रीथल (रोहतक)।
2. श्रीमती ईशा, प्रवक्ता रसायन शास्त्र, रा०व०मा०वि०, रीथल (रोहतक)।

  
उप-अधीक्षक एच०आर०एल०-II  
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा  
हरियाणा, पंचकूला